

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष- एम0 के0 सिंह,
रादस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1409-एक/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 16-4-15 पारित द्वारा
अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण क्रमांक अपील 462/अ-68/2012-13.

श्रीमती विनीता जैन पत्नी निर्मलचंद जैन
निवासी महावीर कॉलोनी, छतरपुर
तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0

----- आवेदक

विरुद्ध

----- अनावेदक

मध्यप्रदेश शासन

.....

श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक ।
श्री राजीव गौतम, अभिभाषक, अनावेदक ।

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5-9-2016 को पारित)

यह निगरानी अतिरिक्त आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक
462/अ-68/12-13 में पारित आदेश दिनांक 16-4-15 के विरुद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व
संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि नजूल संधारण आपरीक्षक, छतरपुर द्वारा
तहसीलदार, नजूल छतरपुर को इस आशय का प्रतिवेदन पेश किया गया कि मौजा बागौता
स्थित भूमि खसरा नं. 1688/1, 1688/2 रकबा 2.31 एकड़ कदीम नजूल के अंशभाग
16X45 = 720 वर्गफुट पर आवेदिका विनीता जैन द्वारा दुकान निर्मित कर अतिक्रमण किया
गया है, अतः अतिक्रमण हटाया जाये । उक्त प्रतिवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसीलदार
ने आवेदिका को प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल किए जाने एवं 300 रुपये अर्थदण्ड आरोपित





किये जाने का आदेश दिया । इस आदेश के विरुद्ध आवेदिका ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 4-3-13 द्वारा निरस्त की । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि प्रश्नाधीन सर्वे नंबर शासकीय न होकर भूमिस्वामी स्वत्व के हैं जिसके भूमिस्वामी चतुर्भुज जैन थे, जिन्होंने उक्त सर्वे नंबर का विक्रय अभयकुमार जैन एवं अजीत कुमार को दिनांक 15-10-98 को किया गया । आवेदिका ने प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 20-10-04 द्वारा अभय कुमार जैन एवं अजीत कुमार जैन से कय की है । अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तथ्यों को अनदेखा किया है ।

यह तर्क दिया गया कि पूर्व में चतुर्भुज जैन के खिलाफ नजूल तहसीलदार द्वारा सर्वे नंबर 1688/1 एवं 1688/2 के अंश भाग 50X40 = 2000 वर्गफुट पर अतिक्रमण का प्रकरण क्रमांक 15/अ-68/96-97 चलाया गया था जो दिनांक 27-1-97 को निर्णीत हो चुका है इसमें नजूल तहसीलदार ने उक्त भूमि को प्राईवेट मानकर पकरण निरस्त किया है । इसी प्रकार आवेदक के विक्रेता अभय कुमार एवं अजय कुमार के विरुद्ध नया प्रकरण क्रमांक 235/अ-68/99-2000 चलाया गया था जिसके विरुद्ध उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील की जिसमें दिनांक 30-10-2004 को आदेश पारित करते हुए अनुविभागीय अधिकारी ने नजूल तहसीलदार का आदेश निरस्त किया । इस प्रकार स्पष्ट है कि कथित भूमि के संबंध में अतिक्रमण के प्रकरण पूर्व में चल चुके हैं जिसमें कथित भूमि को आबादी नजूल प्राईवेट माना गया है । उक्त तथ्यों को तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अनदेखा किया गया है ।


यह तर्क दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश के पैरा 4 में यह उल्लेख किया है कि प्र0क0 15/अ-68/96-97 में पारित आदेश दिनांक 21-1-1997 में आवेदिका एवं विक्रेता पक्षकार नहीं थे तथा प्रकरण क्रमांक 100/बी-121/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 20-10-04 में आवेदिका का भूमि विक्रेता एवं आवेदिका पक्षकार नहीं था,

अपने स्थान पर सही है क्योंकि उस समय आवेदिका ने भूमि कय ही नहीं की थी किंतु उन्होंने उक्त उल्लेख करने के पूर्व इस तथ्य को अनदेखा किया है कि प्र0क0 15/अ-68/96-97 में पारित आदेश दिनांक 21-1-1997 में तथा प्रकरण क्रमांक 100/बी-121/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 20-10-04 में पक्षकार चतुर्भुज तनय फूलचंद हैं जिनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय दिनांक 15-10-1998 को अभयकुमार जैन एवं अजित कुमार जैन को किया है व आवेदिका ने बैनामा दिनांक 8-12-04 द्वारा अभय कुमार व अजित जैन से भूमि कय की है, इस प्रकार से उक्त प्रकरण के पक्षकार एक ही हैं ।

यह तर्क दिया गया कि व्यवहार वाद क्रमांक 14ए/2008 में वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1688/2 के जुज हिस्सा रकबा 0.032 हैक्टर यानि 3600 वर्गफुट स्थित ग्राम बगोता के संबंध में इस आशय की निषेधाज्ञा पारित की गई है कि अनावेदकगण स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे । उक्त निर्णय का पालन अधीनस्थ न्यायालयों ने नहीं किया है । प्रथम अपीलिय न्यायालय ने अपने आदेश में यह लेख किया है कि व्यवहार वाद क्रमांक 14ए/2008 में पारित आदेश दिनांक 25-8-2008 में पक्षकार अलग-2 हैं । अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदिका के विक्रयपत्र का अवलोकन नहीं किया जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि आवेदिका का भवन क्रमांक 36 का जुज भाग है ।

यह तर्क दिया गया कि आवेदिका ने अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये थे जिनके अनुसार आवेदिका का नाम नगर पालिका में दाखिल खारिज है तथा संपत्ति कर जमा करने की रसीद है । तृतीय अपर जिला न्यायाधीश छतरपुर द्वारा खसरा नं. 1688/1 एवं 1688/2 के जुज भाग पर आधिपत्य स्वीकृत आदेश दिया है । संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय, छतरपुर द्वारा फरवरी 2001 में निर्माण कार्य मानचित्र अनुसार करने की स्वीकृति प्रदान की है । पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30-10-2004 को जो आदेश पारित किया है वह आवेदक के प्रकरण में पूरी तरह लागू होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की ओर से दिए गए तर्कों पर बिना

R.
112



विचार किया तथा व्यवहार न्यायालय के आदेश को अनदेखा कर आदेश पारित किया है जो निरस्ती योग्य है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय तथ्यों के संबंध में समवर्ती हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में नायब तहसीलदार नजूल द्वारा अतिक्रमण का प्रकरण क्रमांक 15/अ-68/96-97 चतुर्भुज जैन जो कि आवेदिका के पूर्वाधिकारी अभय कुमार एवं अजय कुमार जैन के पूर्वाधिकारी हैं, के विरुद्ध प्रचलित कर दिनांक 21-1-97 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि को निजी स्वामित्व की मान्य करते हुए प्रकरण निरस्त किया गया है । इसके उपरांत तहसीलदार, छतरपुर द्वारा चतुर्भुज जैन एवं अभय कुमार तथा अजय कुमार (जिन्होंने आवेदिका को भूमि का विक्रय किया है) के विरुद्ध अतिक्रमण का प्रकरण क्रमांक 235/अ-68/99-2000 पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई जिसके विरुद्ध उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के न्यायालय में संहिता की धारा 30 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर स्वयं निराकरण का अनुरोध किया गया । इस पर से अनुविभागीय अधिकाहारी ने प्रकरण क्रमांक 100/बी-121/2004-05 पंजीबद्ध कर उसमें दिनांक 30.10.04 को आदेश पारित किया जाकर यह निष्कर्ष निकाला गया कि एक बार जब नजूल तहसीलदार द्वारा यह प्रस्थापित किया जा चुका है कि आवेदकगणों ने एवं चतुर्भुज ने कोई कब्जा शासकीय भूमि पर नहीं है तथा उससे संबंधित निर्णय हो चुका है तब रिसजुडीकेटा का सिद्धांत प्रभावशील होगा और उन्होंने प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं माना । दर्शित परिस्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदिका को अतिक्रमक मान्य करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्व अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को इस आधार पर अमान्य किया गया है कि उसमें आवेदिका पक्षकार नहीं थी परंतु उनके द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर विचार नहीं किया है कि तत्समय पारित आदेश के समय आवेदिका द्वारा

1/10



प्रश्नाधीन भूमि को कय नहीं किया गया था । इसके अतिरिक्त अभिलेख में तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, छतरपुर द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 14ए/2008 (श्रीमती महिमा जैन एवं एक अन्य तथा म0प्र0 शासन एवं एक अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 25-10-08 की प्रति संलग्न है है इस निर्णय में विद्वान अपर जिला न्यायाधीश द्वारा उक्त वाद के वादीगण को वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 1688/2 के जुज रका 0.032 हेक्टर (3600 वर्गफुट) का भूमिस्वामी घोषित किया गया है और अनावेदकों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधियों के माध्य से विवादित भूमि भूमि पर वादीगण के आधिपत्य में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेंगे । इस प्रकार इस प्रकरण में यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि आवेदिका द्वारा कय की गई वादग्रस्त भूमि निजी भूमिस्वामित्व की भूमि है नाकि शासकीय भूमि । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के जो निर्णय हैं वे न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं होने से स्थिर नहीं रखे जा सकते ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जाते हैं एवं आवेदिका के विरुद्ध प्रारंभ किया गया अतिक्रमण का प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

Handwritten signature



(एम0 के0 सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश

ग्वालियर